न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उनवान:– श्रीमति रामेश्वरी v/s विनोद मु0न0 2021 /704 किस्म –(प्रा0 पत्र टीआई)	

निर्णय दिनांक 17/10/2024

प्रकरण के संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिनी ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई - निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 RTA-1955 विरुद्ध अप्रार्थी विनोद पुत्र चिरंजीलाल जाति ब्राहमण निवासी किशोरपुरा इस आशय का पेश किया ग्राम किशोरपुरा तहसील लालसोट स्थित कृषि भूमि - खसरा नम्बर 191 रकबा 03 बीघा 19, खसरा नम्बर 206 रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा किता-2 कुल रकबा 17 बीघा 01 बिस्वा भूमि प्रार्थिया के पति एवम् - अप्रार्थी के पिता स्व. चिरंजीलाल व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 के पिता स्व. कन्हैयालाल दोनो भाईयो की खातेदारी एवम् कब्जेकाश्त की भूमि की जिसे वाकास्त आराजी सम्बोधित किया जा रहा है। वाकास्त भूमि में स्व. कन्हैयालाल एवं चिरंजीलाल दोनो भाईयो का आधा-आधा हिस्सा है। कन्हैयालाल की मृत्यु के बाद उनके हिस्सा 1/2 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 के नाम इन्द्राज हो गई है। तथा चिरंजीलाल के हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.12.23 16:20:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज0)

1/2 की खातेदारी प्रार्थिनी एवम् अप्रार्थी संख्या-01 तथा प्रतिवादी संख्या दो क्रमशः स्व. चिरंजीलाल की चार पुत्रिया शिमला देवी, ललिता देवी, ममता देवी व सुमन देवी के नाम दर्ज हुई, जिसमे से चारो पुत्रियो ने अपने हिस्सा 4/7 दर हिस्सा 1/2 का हक त्याग प्रार्थिनी के हक मे दिनांक 08/06/2016 को कर दिया जिसका दिनांक 28/06/2016 को नामान्तरकरण संख्या 1031 तस्दीक किया गया। अप्रार्थी संख्या-01 ने उक्त नामान्तरकरण की श्रीमान अति. संभागीय आयुक्त महोदय के न्यायालय मे पेश की है जिसमे राजस्व अभिलेख की यथा-स्थिति बनाये रखने का स्थगन दिया हुआ है। जिसकी जमाबंदी मे नोट अंकित है। प्रार्थना मे आगे अभिकथन किये है कि अप्रार्थी संख्या-01 लड़ाकू किस्म का व्यक्ति है जो प्रार्थिनी के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न करता है तथा हैरान परेशान करता है जिसका उसे कोई हक अधिकार नही है। प्रार्थीनी, अप्रार्थी संख्या-01 व प्रतिवादी संख्या-2 ने शामलात की राकस्त आराजी को ... मौके पर विभाजन कर रखा है तथा आधे-आधे हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.12.23 16:20:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उनवानः– रामेश्वरी v/s विनोद मु०न० 2021/704 किस्म – डी०आ०वि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थी संख्या –01 प्रार्थिनी व प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से की भूमि को जबरन हड़पना चाहता है जिसका उसे कोई हक अधिकार नही है। प्रार्थिनी वृद्ध महिला है जिसके अप्रार्थी संख्या –01 आये दिन परेशान करता रहता है यदि अप्रार्थी अपने मनसूबो मे कामयाब हुआ तो प्रार्थिनी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति करना सम्भव नही है। अतः अप्रार्थी संख्या–01 को प्रार्थिनी के हिस्सा 4/7 दर हिस्सा 1/2 पर प्रार्थिनी के कब्जे काश्त, मे बाधा या व्यवधान उत्पन्न न करने हेतु स्थाई रूप से पाबन्द किया जावे। इस आशय की निषेधाज्ञा जारी किये जाने की इस्तदुआ की है। प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जारिये रजि० ए०डी तलब किया गया। प्रतिवादी/अप्रार्थी विनोद के बावजूद तामील उपस्थित नही आने पर उसके खिलाफ एक–पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। तदुपरान्त पत्रावली पर वकील प्रार्थी बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए वादग्रस्त आराजी के हिस्सा 1/2 मे से दर हिस्सा 4/7 प्रार्थिनी के कब्जे	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.12.23 16:20:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला–दौसा (राज०)

काश्त वाली भूमि पर अप्रार्थी संख्या-01 को व्यवधान पैदा करने हेतु पाबन्द करवाने का निवेदन किया। विद्वान वकील प्रार्थी ने तर्क पेश किये कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी की खातेदार है तथा अपने हिस्से की भूमि पर बहैसियत काबिज है। अप्रार्थी संख्या-01 को प्रार्थीगण के हिस्से की कब्जे काश्त मे बाधा या व्यवधान करने का कोई हक नही है। अतः अप्रार्थी संख्या-01 को इस हेतु स्थाई रूप से पाबन्द किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर गौर फरमाया। पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उभयपक्ष वादग्रस्त आराजीयात के सह-खातेदार है। यह तथ्य संवत् जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 से सिद्ध है। वादपत्र यथाविधि रूप से पेश किया जा चुका है। वकील उभयपक्षो ने कब्जे काश्त मे दखल न देने बाबत ~~एक दूसरे~~ [illegible] पाबंदित करवाने [illegible] किया है। अतः उभयपक्षो की सहमति [illegible] खातेदारों को तादेतकसीम एक दूसरे के कब्जे काश्त मे दखल न देने हेतु पाबंदित किया जाता है। उभयपक्ष वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम बिशनपुरा ख.नं. 191, 206 बाबत इस आशय से प्रतिबंधित रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.12.23 16:20:01 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार [illegible]